

कार्यालय ग्राम पंचायत वरियाडा पं.सं. शिव

क्रमांक- पशु शिविर / 2022 / 12

दिनांक- 30/3/22

प्रेषित-

श्रीमान तहसीलदार महोदय

शिव

विषय- ग्राम पंचायत वरियाडा में राजस्व ग्राम फतेहपुरा हेतु पशु शिविर स्वीकृत करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि मैं (सचिव) रिडमलराम पुत्र खेताश जाति कुहावा निवासी गुगा तहसील शिव जिला द्वारा ग्राम पंचायत वरियाडा के राजस्व ग्राम फतेहपुरा हेतु पशु शिविर स्वीकृत करवाना चाहता हूँ तथा यह कि-

1 संवत् 2078 में तहसील शिव के ग्राम पंचायत वरियाडा में भयंकर अकाल की स्थिति है।

2 वर्तमान समय में ग्राम पंचायत वरियाडा के राजस्व ग्राम फतेहपुरा में किसी भी प्रकार का पशु शिविर स्वीकृत नहीं है।

3 राजस्व ग्राम फतेहपुरा में वर्तमान में संवत् 2078 की अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा छोड़ गये 1.80 बड़े व 20 छोटे कुल 20 पशु संचारित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत वरियाडा के राजस्व ग्राम फतेहपुरा में पशु शिविर स्वीकृत करवाने की कृपा करवाये।

अनुपमा
(अनुपमा)
सरपंच / अध्यक्ष शिव
ग्रा.प. वरियाडा

(रिडमलराम)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा.प. वरियाडा प.सं. शिव

ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा.प. वरियाडा प.सं. शिव

ग्रा.प. वरियाडा

राजस्थान



नाम मुद्रांक विज्ञान की वेबसाइट भाटी धारवी कला अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2019/शिव/बाडमेर

रजिस्ट्रार क्रम सं. 2192 दिनांक 23/02/2022 मुद्रांक वेबसाइट क्रम संख्या - 50/-

मुद्रांक केला का नाम गण फलान्त मिना/पति का नाम शिव

पता बाडमेर प्रयोजन सं. शिव

(हमने इस की दशा में हमने का नाम पता देवी)

केला/हमने के हमनाथ देवी मुद्रांक विज्ञान के हमनाथ देवी

विक्रय स्थान : तहसील परिभार, शिव (बाडमेर) Mob. 7023519652

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राजी पर प्रभाविता अधिनियम
आधारभूत अवसरचना भूमिगत है (धारा 3-क) 10 % रूपये - 05/-
गाय और उसकी नगरी के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) 20 % रूपये - 10/-
कुल योग - 15/-
हमनाथ स्टाम्प वेबसाइट

शपथ पत्र

मैं अनुसूया पुत्र/पिता महावागनिह उम्र 22 निवासी फतेहपुर

तहसील शिव जिला बाडमेर राज. का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि :-

- मेरी संस्था का नाम ग्राम पचायत दरिया एवं संस्था का पंजीयन संस्था यह है।
- मेरे पशु शिविर के संचालन का स्थान फतेहपुर तहसील शिव जिला बाडमेर नाम से है।
- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर / राज्य स्तर पशुशिविर का आकस्मिक निरीक्षण / विडियो ग्राफी करवाई जा सकेगी।
- मैं भलिभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण / विडियो ग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी अनियमितता पाई जाती है तो मेरे संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- मैं पशु शिविर / गोशाला कि स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
- जिले द्वारा समय समय पर दी गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालना करूंगा।

अनुसूया
(अनुसूया)
संरपच/अध्यक्ष
ग्राम पं. दरिया

अनुसूया
ग्रा.वि.अधिकारी/सचिव
ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा.प.दरिया, शिव



अनुसूया पुत्र महावागनिह उम्र 22 निवासी फतेहपुर तहसील शिव जिला बाडमेर राज. का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

अनुसूया
(अनुसूया)
संरपच/अध्यक्ष
ग्राम पं. दरिया

अनुसूया
ग्रा.वि.अधिकारी/सचिव
ग्राम पं. दरिया

ATTESTED
B. M. KUMAWAT
NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA, BARMER